



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्या:- 291 / प्रा0पत्र / 2025

दायरा दिनांक :- 08.10.2025

GCMS ID-2025 / 456

बउनवान

1. भीमा राम मीणा पिता छितरलाल जाति मीणा निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जयें तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इन्द्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :- श्री चन्द्रप्रकाश जैन।

वकील अप्रार्थी :- पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक :- 29 / 01 / 2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या 470 ख.सं. 3157 कुल किता 1 कुल रकबा 0. 1133 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 1004 ख. सं. 2036, 2106 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9793 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 471 ख.सं. 2416, 2429, 2835, 2847, 2851, 2973, 3158, 3160 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6430 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित है, उक्त भूमि प्रार्थी की सामलाती खाते मे दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था मे घर पर भीवाराम व भीमा राम के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकार्ड में नामांतरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का घरेलु नाम भीवाराम के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम भीमा राम है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुकसं, राशन कार्ड, पेनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम भीमा राम दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम भीवाराम दर्ज कर

Shivraj
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम भीमाराम है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी भीमाराम ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरुस्त किया जाकर भीमाराम के स्थान पर भीमाराम दुरुस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरुस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरुस्त करने से दिनांक 20.08.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपना नाम भीमाराम के इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर भीमाराम दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाकर सही नाम भीमाराम दर्ज करवावे। उपरोक्त भूमियाँ वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या 470 ख.सं. 3157 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1133 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 1004 ख.सं. 2036, 2106 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9793 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या 471 ख.सं. 2416, 2429, 2835, 2847, 2851, 2973, 3158, 3160 कुल किता 8 कुल रकबा 1.6430 हैक्टेयर वाके ग्राम बडानयागांव पटवार मण्डल बडानयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम भीमाराम के इन्द्राज को दुरुस्त कर उक्त स्थान पर भीमाराम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ने नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :- राजस्व/25/3394 दिनांक :-18.12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम बडानयागांव के खाता संख्या 470, 471 व 1004 में प्रार्थी का नाम भीमाराम पुत्र छीतर सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज भीमाराम पुत्र छीतर व भीमाराम पुत्र छीतर एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज भीमाराम पुत्र छीतर के स्थान पर प्रार्थी का नाम भीमाराम पुत्र छीतर शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम भीमाराम पुत्र छीतर है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरुस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना



Email: sdhindoli@gmail.com Phone no-7436276446

(Signature)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं।”

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्कों एवं अप्रार्थी परोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग कार्ड, बैंक खाता डायरी, जन आधार, पेंशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किए हैं जिसमें प्रार्थी का सही नाम भीमाराम पुत्र छीतर है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी परोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

-: क्रियात्मक आदेश :-

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बडानयागांव प0मं0 बडानयागांव के खाता संख्या 470, 471 व 1004 में दर्ज प्रार्थी का नाम भीवाराम पुत्र छीतर के स्थान पर भीमाराम पुत्र छीतर शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :-29.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।



29/01/2026
(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली